दि स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड: नई दिल्ली (कार्मिक प्रभाग) चिकित्सा कक्ष

एसटीसी/मुख्यालय/का./चि./0311ए/2008

दिनांक:28.02.2020

स्चना

यह सभी कर्मचारियों की सूचना के लिए है कि फोर्टिस अस्पताल, सैक्टर-62, नौएडा के इम्पैनलमेंट के कार्यकाल की अविधि दिनांक 27.02.2019 को समाप्त हो गई है ।

फोर्टिस अस्पताल, सैक्टर-62, नौएडा का इम्पैनलमेंट सीजीएचएस की दरों पर नहीं था।

दिनांक 28.03.2018 के परिपत्र अनुसार 01.04.2018 से अस्पतालों के साथ इम्पैनलमेंट का नवीनीकरण केवल सीजीएचएस पर ही किया जाना है।

फोर्टिस अस्पताल, सैक्टर-62, नौएडा का डीपैनल होने पर दिनांक 27.02.2020 के बाद अस्पताल में आईपीडी उपचार हेतु कोई भी प्राधिकृत पत्र (ऑथराइजेशन लेटर) जारी नहीं किया जायेगा। यदि कोई कर्मचारी/पूर्व कर्मचारी (अनुमोदित 5 प्रमुख बीमारियाँ के लिए) अस्पताल में भर्ती होकर इलाज करवाता है तो अस्पताल से डिस्चार्ज के समय उसे भुगतान करना होगा और उपरोक्त अस्पताल में कराये गये इन्डोर उपचार पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति बिना पैनल के अस्पतालों में हुए व्यय की प्रतिपूर्ति के संबंध में लागू नीति के अनुसार किया जाएगा।

उप महाप्रबंधक

<u>प्रतिलिपि:</u>

- -अध्यक्ष व प्रबंधक निदेशक के कार्यकारी सचिव
- -सभी निदेशक/मुख्य सतर्कता अधिकारी के कार्यकारी सचिव
- -महप्रबंधक(वित्त)-(आरएन)
- -एसटीसी की वेबसाइट
- -नोटिस बोर्ड

THE STATE TRADING CORPORATION OF INDIA LIMITED : NEW DELHI (PERSONNEL DIVISION)

MEDICAL SECTION

STC/CO/PERS/MED/03011A/2008

DATE: 28-02-2020

NOTICE

This is for information of all employees that the validity period of empanelment of Fortis Hospital, Sec. 62, Noida has expired on 27.02.2020.

The empanelment arrangement of Fortis Hospital, Noida was made on non-CGHS rates.

As per the Circular dated 28.03.2018, the renewal of empanelment arrangement with Hospitals has to be carried out at CGHS rates only w.e.f. 01.04.2018.

After depanelization of Fortis Hospital, Noida w.e.f. 27.02.2020, no authorization letter will be issued to employees for IPD treatment. If any employee/ex-employee(for approved 5 major illness as per circular No. IR/12/2019 dt. 18.06.2019) takes indoor treatment in the above noted hospital, he/she will have to make payment to the Hospital at the time of discharge and the reimbursement for the expenditure incurred on the indoor treatment in the above hospital would be made as per the policy pertaining to reimbursement of expenditure in non empanelled hospital.

(R.Madhusudan) 22/20
Deputy General Manager(p)

Distribution:

- Executive Secretary to CMD
- Executive Secretary to Directors/CVO
- GM(F)-(RN)
- STC's website
- Notice Board